न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 54/2022

बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा जिला दौसा राजस्थान जरिये संजय शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी

..... प्रार्थी कंपनी

बनाम

1. मैसर्स गणेश मिनरल्स जरिये प्रोपराईटर श्रीमति आचुकी शर्मा निवासी प्लॉट नंबर जी—1—32, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, बापी जिला दौसा दूसरा पता—एफ—98, गणेश नगर, रोडवेज बस डिपो के पास, आगरा रोड, दौसा जिला दौसा।

.... अप्रार्थी ऋणी

2. सीताराम शर्मा पुत्र श्री चिरंजीलाल शर्मा

.... (जमानती)

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुदर्गी बाबत।

उपस्थित : श्री डिपेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से ।

आदेश

दिनांकः 29.7.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी को 25,00,000/—(रूपये पच्चीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:46:59 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ... 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई मैसर्स गणेश मिनरल्स जरिये प्रोपराईटर श्रीमती आचुकी शर्मा की (1) हाईपोथिकेशनः स्टॉक, प्लांट एवं स्थापित मशीनरी (2) औधोगिक संपत्ति जो प्लॉट नंबर जी–1–32, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बापी जिला दौसा में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका एरिया 1000 वर्गमीटर है जो कि थाना सैंथल के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 29.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:46:59 IST
Reason: SelfAttested